



Government of Haryana



हाउसिंग बोर्ड हरियाणा

पेश करते हैं

हरियाणा में आरक्षित, सामान्य सम्पत्तियों की ई-नीलामी
नयी संशोधित नीति के अनुसार

दिनांक: 18 फरवरी, 09 मार्च, 1 अप्रैल तथा 25 फरवरी, 17 मार्च, 15 अप्रैल 2026

आवासीय सम्पत्तियां		
देशन	सेक्टर	ई-नीलामी की तिथि
अम्बाला कैट.	42	
यमुनानगर	12	
अलीपुर	12 (extension)	
पलवल	6, 11 & 14	
फटीदाबाद	70	
गुँडग्राम	48 & 49 उप्पल हाउसिंग, 48 & 49 नॉर्थ स्टार, सेक्टर -73, Sec.-67	18.02.2026 तथा 09.03.2026 तथा 01.04.2026
सोहना	11 & 14	
ऐवाड़ी	26, 19, 25 & 26, 6 & 7	
धड़हरा	7, 23, 1, 1A & 2B	
जनरल आवासीय सम्पत्तियां		
पंचकूला	31	
झोनीपत	23	



आवासीय सम्पत्तियां		
देशन	सेक्टर	ई-नीलामी की तिथि
फतेहाबाद	4, 7	
टोहतक	27,28,34,35,37, 26 & 28, 36A	
हिसार	1 & 4, 24, तलवंडी राणा सेक्टर-1	
झज्जर	7	
रतिया	6	
सिट्सा	21	
ठोहाना	6 & 7	
घटीौदा	9	
कैथल	29 & 33	
करनाल	28 (NEW), 28(OLD), 45(NEW) 45(OLD), 33, 36	25.02.2026 तथा 17.03.2026 तथा
नरवाना	19 - बसंत विहार	15.04.2026
कुँक्षेत्र	9, 29, 32, 31-32	
पानीपत	39 - P/NATH, 39 - TDI, 19 - अंसल लिटी	
जनरल आवासीय सम्पत्तियां		
जींद	8	
सिट्सा	19, Type-B	

शेष 75% शाखा का भुगतान आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 100 दिन के भीतर (ब्याज मुक्त) या 3 वर्ष की छमाही किस्तों द्वारा भुगतान (ब्याज सहित) करने का प्रावधान है।

ई-नीलामी पोर्टल <https://hbh.gov.in>
ई-नीलामी सुबह 10 बजे थ्रू की जाएगी

हेल्पलाइन नंबर
9106196864, 6354910157

EMD जमा करनुपर्यन्त की अंतिम तिथि तय
e-Auction की तिथि से एक दिन
पहले **शाम 5 बजे** तक होगी



मुख्य प्रशासक
हाउसिंग बोर्ड हरियाणा
सी-15, आवास अवन, सेक्टर 6, पंचकूला, हरियाणा
h.bh.gov.in 0172-3520001



स्थलों की पृष्ठी जानकारी और ई-नीलामी के लियम और शर्तें
हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की वेबसाइट पर उल्लिख हैं।
आगे वाली ई-नीलामी की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। <https://hbh.gov.in>